भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1126

दिनांक 24 जुलाई, 2026 को उत्तर के लिए

हिंगोली में आंगनवाड़ी सेवाएं

1126. श्री नागेश बापुराव अष्टिकर पाटिल.:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि हिंगोली संसदीय क्षेत्र के जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों के कई गांवों में आंगनवाड़ी अवसंरचना की कमी, अपर्याप्त पोषण आपूर्ति, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियोंओं (एडब्ल्यूडब्ल्यू और सहायिकाओं (एडब्ल्यूएच) के रिक्त पदों तथा गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों के लिए अपर्याप्त सुविधाओं जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान हिंगोली जिले में स्वीकृत, संचालित और निर्माणाधीन आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) का ब्यौरा क्या है तथा इसके साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियोंओं, सहायिकाओं और पर्यवेक्षकों (सुपरवाइजर्स) के रिक्त पदों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने हिंगोली जिले में कुपोषण, एनीमिया, स्कूल रेडीनेस और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संकेतकों के संबंध में कोई आकलन किया है और यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(घ) क्या सरकार जिले में अतिरिक्त आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित करने, आधुनिक अवसंरचना प्रदान करने, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के अंतर्गत पोषण आपूर्ति में सुधार करने तथा सभी रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (घ): मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को छह सेवाओं का एक समेकित पैकेज प्रदान किया जाता है। इनमें (i) अनुपूरक पोषण (एसएनपी), (ii) विद्यालय-पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, (iii) पोषण

एवं स्वास्थ्य शिक्षा, (iv) टीकाकरण, (v) स्वास्थ्य जांच तथा (vi) रेफरल सेवाएं शामिल हैं। इन छह सेवाओं में से तीन सेवाएं, अर्थात् टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच तथा रेफरल सेवाएं, स्वास्थ्य संबंधी हैं और इन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। ये सेवाएं देशभर में पंजीकृत पात्र लाभार्थियों, अर्थात् 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं को तथा राज्यों के आकांक्षी जिलों एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी जिलों में 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग की किशोरियों को आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) की जिला-वार संख्या का विवरण पोषण ट्रैकर पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है: https://www.poshantracker.in/statistics

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) में आधारभूत अवसंरचना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु विभिन्न कदम उठाए गए हैं। पंद्रहवें वित्त आयोग की अवधि के दौरान एमजीएनआरईजीएस (मनरेगा) के साथ तालमेल के माध्यम से 40,000 आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई है।

इसके अतिरिक्त, राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को यह भी परामर्श दिया गया है कि वे आंगनवाड़ी केंद्रों के भवनों के निर्माण हेतु सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस), ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ), पंचायती राज संस्थाओं को वित्त आयोग अनुदान, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) आदि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध निधियों का उपयोग निरंतर करते रहें।

राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निर्देश जारी किए गए हैं कि जिन आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन किराए के भवनों में अपर्याप्त आधारभूत अवसंरचना के साथ किया जा रहा है, उन्हें जहां स्थान उपलब्ध हो, वहां निकटवर्ती सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के परिसर में सह-स्थित किया जाए। इस संबंध में सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में आंगनवाड़ी केंद्रों के सह-स्थितीकरण के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) के अंतर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण हेतु कुल 2,500 आंगनवाड़ी केंद्रों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें से महाराष्ट्र राज्य में 178 आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना एवं निर्माण को स्वीकृति दी गई है, जिनमें हिंगोली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के 20 आंगनवाड़ी केंद्र भी शामिल हैं।

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए), जिसे जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है, लगभग 63,843 गांवों में तालमेल, सेवाओं की पहुंच

तथा संतृप्ति सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। इस अभियान के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना एवं निर्माण हेतु 875 आंगनवाड़ी केंद्रों को स्वीकृति प्रदान की गई है।

इसके अतिरिक्त, आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) में आधारभूत अवसंरचना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रति आंगनवाड़ी केंद्र ₹17,000 तथा शौचालय निर्माण हेतु प्रति आंगनवाड़ी केंद्र ₹36,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 मिशन एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के कार्यक्षेत्र में आता है। लाभार्थियों को सेवाओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रिक्त पदों तथा आधारभूत अवसंरचना से संबंधित विषयों पर राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ नियमित रूप से सतत विचार-विमर्श तथा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा की जाती है।

हिंगोली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हिंगोली, नांदेड़ तथा यवतमाल नामक तीन जिले सम्मिलित हैं। जून, 2026 के पोषण ट्रैकर के आंकड़ों के आधार पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्ल्यूडब्ल्यू), आंगनवाड़ी सहायिका (एडब्ल्यूएच) तथा पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) स्तर पर रिक्त पदों का जिला-वार विवरण निम्नानुसार है:

ज़िला	पर्यवेक्षक	आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां	आंगनवाड़ी सहायिकाएं
हिंगोली	3	18	94
यवतमाल	1	60	280
नांदेड़	1	142	430

वर्ष 2021 में विश्व बैंक द्वारा पोषण अभियान के संबंध में 11 प्राथमिकता वाले राज्यों में एक सर्वेक्षण कराया गया। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य पोषण सेवाओं के वितरण का आकलन करना, लाभार्थियों के पोषण संबंधी ज्ञान में हुए सुधार का मूल्यांकन करना तथा यह पता लगाना था कि क्या उन्होंने पोषण एवं शिशु आहार संबंधी अधिक उपयुक्त व्यवहारों को अपनाया है। सर्वेक्षण के निष्कर्षों से यह परिलक्षित हुआ कि पोषण अभियान के अंतर्गत प्रदान की गई सेवाएं, जैसे कि पोषण संबंधी उपयुक्त संदेशों की प्राप्ति, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा गृह भ्रमण तथा समुदाय-आधारित कार्यक्रमों में सहभागिता, लाभार्थियों के पोषण संबंधी व्यवहारों में सकारात्मक सुधार से संबद्ध थीं। सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि कार्यक्रम के अंतर्गत दिए गए पोषण संबंधी संदेश 80 प्रतिशत से अधिक महिलाओं तक पहुंचे तथा 81 प्रतिशत महिलाओं ने जन्म के पश्चात प्रथम छह माह तक शिशु को केवल स्तनपान कराया।

वर्ष 2020 में नीति आयोग द्वारा पोषण अभियान का तृतीय-पक्ष मूल्यांकन एवं प्रभाव आकलन कराया गया, जिसमें यह पाया गया कि देश में कुपोषण की समस्या से निपटने की दृष्टि से इस अभियान की प्रासंगिकता संतोषजनक है। इसके अतिरिक्त, नीति आयोग द्वारा वर्ष 2025 में मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 का परिणाम-आधारित मूल्यांकन भी कराया गया। संस्थागत आकलनों तथा परिवार-आधारित सर्वेक्षणों से प्राप्त साक्ष्यों से यह परिलक्षित हुआ कि अपने वर्तमान स्वरूप में मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 तालमेल एवं सुदृढ़ीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से पूर्ववर्ती कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए कुपोषण से समग्र रूप से निपटने तथा बाल विकास को प्रोत्साहित करने की दिशा में सरकार का नवीनतम प्रयास है। इसके अलावा, डिजिटलीकरण की पोषण निगरानी, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ईसीसीई), लाभार्थियों के प्रमाणीकरण तथा सेवा वितरण की दक्षता पर बहुआयामी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। पोषण माह तथा पोषण पखवाड़ा जैसे राष्ट्रव्यापी जन-जागरूकता अभियानों के माध्यम से पोषण संबंधी पहलों में सामुदायिक सहभागिता बढ़ी है, जिससे मातृ एवं शिशु पोषण के संबंध में जागरूकता तथा व्यवहारगत सकारात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहन मिला है।

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत कुपोषण में कमी लाने तथा सामुदायिक सहभागिता, जन-पहुंच, व्यवहार परिवर्तन एवं जन-जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य, आरोग्य एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देने के लिए एक नई रणनीति विकसित की गई है। यह रणनीति मातृ पोषण, शिशु एवं छोटे बच्चों के आहार संबंधी मानकों, गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम) तथा मध्यम तीव्र कुपोषण (एमएएम) के उपचार और आयुष पद्धतियों के माध्यम से आरोग्य संवर्धन पर केंद्रित है, ताकि दुबलापन, बौनापन, रक्ताल्पता तथा कम वजन की व्यापकता में कमी लाई जा सके।

पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से मंत्रालय तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को बच्चों की स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी स्थिति सहित विभिन्न मानकों पर योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करने तथा आवश्यकता के अनुसार सुधारात्मक कदम उठाने में सुविधा प्राप्त हुई है।
